रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-22082022-238243 CG-DL-E-22082022-238243

## असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 570] No. 570] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 22, 2022/श्रावण 31, 1944 NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 22, 2022/SHRAVANA 31, 1944

## वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड)

# अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 2022

सं. 69/2022-सीमाशुल्क (गै.टै.)

सा.का.नि. 645(अ).—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 137 की उपधारा (3) के साथ पिठत धारा 156 की उपधारा (2) के उपवाक्य (ज) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा, सीमाशुल्क (अपराधों का शमन) नियमावली, 2005 में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

- 1. (1) इन नियमों को सीमाशुल्क (अपराधों का शमन) संशोधन नियमावली, 2022 कहा जाएगा।
  - (2) ये सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
- 2. सीमाशुल्क (अपराधों का शमन) नियमावली, 2005 (एतश्मिन पश्चात् जिसे उक्त नियमावली से संदर्भित किया गया है) में, नियम 5 में, तालिका में, क्रम सं. 8 और उससे संबन्धित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतः स्थापित किया जाएगा, यथाः-

"9	9 उक्त अधिनियम की धारा	पहली बार अपराध किए जाने पर एक लाख रु., पश्चातवर्ती प्रत्येक अपराध
	135कक के अंतर्गत विनिर्दिष्ट	के मामले में यह राशि सौ प्रतिशत बढ़ायी जाएगी।"
	अपराध	

5600 GI/2022 (1)

- 3. उक्त नियमावली के नियम 6 में, -
  - (i) "अपने साथ की जा रही कार्यवाहियों में सहयोग किया है तथा" शब्दों का लोप किया जायेगा'
  - (ii) निम्नलिखित परंतुक को स्थापित किया जाएगा यथा: -
  - "बशर्ते कि यदि अपराध केवल धारा 135एए के तहत दंडनीय है, तो अभियोजन से छूट प्रदान की जाएगी।"
- 4. उक्त नियमावली के नियम 7 में, उप-नियम (2) में, शब्दों, कोष्ठकों और संख्या "उप-नियम (1)" के स्थान पर, शब्दों, कोष्ठकों और संख्या, "नियम (6)" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. 450/67/2003-सीमाशुल्क IV]

मनीष कुमार चौधरी, अवर सचिव

टिप्पणीः प्रधान अधिसूचना संख्या 114/2005-सीमाशुल्क (गै.टे.), दिनांक 30 दिसम्बर, 2005, को सा.का.िन. 755(अ), दिनांक 30 दिसम्बर, 2005 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 118/2008-सीमाशुल्क (गै.टे.), दिनांक 12 नवम्बर, 2008, जिसे सा.का.िन. 786(अ), दिनांक 12 नवम्बर, 2008 के तहत प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

#### MINISTRY OF FINANCE

# (Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES) AND CUSTOMS

### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd August, 2022

### No. 69/2022-Customs (N. T.)

- **G.S.R.** 645(E).—In exercise of the powers conferred by clause (h) of sub-section (2) of section 156, read with sub-section (3) of section 137 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Customs (Compounding of Offences) Rules, 2005, namely: -
- 1. (1) These rules may be called the Customs (Compounding of Offences) Amendment Rules, 2022.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Customs (Compounding of Offences) Rules, 2005 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 5, in the Table, after Sl. No. 8 and entries relating thereto, the following Sl. No. and entries shall be inserted, namely; -

"9	Offences specified under	One lakh rupees for the first offence, to be increased by hundred
	Section 135AA of the Act	per cent of this amount for each subsequent offence.".

- 3. In rule 6 of the said rules, -
  - (i) the words, "has co-operated in the proceedings before him and" shall be omitted;
  - (ii) the following provisio shall be inserted, namely: -
  - "Provided that if the offence is punishable only under Section 135AA, the immunity from prosecution shall be granted."
- 4. In rule 7 of the said rules, in sub-rule (2), for words, brackets and number, "sub-rule (1)", the words, brackets and number, "rule (6)" shall be substituted.

[F. No. 450/67/2003-Cus IV]

**Note:** The principal Notification No. 114/2005-Customs (N.T.) dated 30<sup>th</sup> December, 2005 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3 Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 755(E), dated the 30<sup>th</sup> December 2005 and last amended *vide* notification No. 118/208-Customs (N.T), dated the 12<sup>th</sup> November 2008 *vide* number G.S.R. 786(E), dated the 12<sup>th</sup> November 2008.